कार्यालय– जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा।

पत्रांक:विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति / 5647-56 / 2017–18 दिनांक 25-8-17

विज्ञप्ति

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–2, लखनऊ : दिनांक 21.08.2017 संख्या–1218 / पन्द्रह–2–17–1072 / 2017 के क्रम में जनपद इटावा में संचालित राजकीय इण्टर कालेज / राजकीय हाईस्कूल में सहायक अध्यापक (एल0टी0) एवं प्रवक्ता के रिक्त पदो के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अहर्ताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा निवृत्त सहायक अध्यापकों / प्रवक्ताओं की मानदेय पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं।

प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता

1. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक / प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता के समान हो।
2. विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम चयनित एवं कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य शिक्षक / शिक्षिका जो पद की शैक्षिक अर्हता के समान शैक्षिक अर्हता रखते हैं एवं वे प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक हैं।
3. इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करवाना अनिवार्य है।

क्र.सं.	विषय का नाम	पदों का विवरण	
		प्रवक्ता	सहायक अध्यापक
1	हिन्दी	11	18
2	अंग्रेजी	8	13
3	गणित(इण्टर)–गणित / विज्ञान(हाईस्कूल)	6	16
4	सामाजिक विज्ञान	–	16
5	गृह विज्ञान	3	15
6	संस्कृत	8	18
7	तर्क शास्त्र	1	–
8	कला	1	13
9	शारीरिक शिक्षा	–	5
10	नागरिक शास्त्र	4	–
11	रसायन विज्ञान	8	–
12	इतिहास	3	–
13	जीव विज्ञान	3	3
14	भौतिक विज्ञान	8	–
15	अर्थशास्त्र	3	–
16	उर्दू	1	–
17	समाज शास्त्र	8	–
18	वाणिज्य	2	1
19	संगीत	2	1
20	शिक्षा शास्त्र	4	–
21	कृषि	–	2
योग		84	121

नोटः— राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता भी अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

चयन साक्षात्कार के आधार पर प्रथमतः बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों का चयन किया जायेगा, पद रिक्त रहने की दशा में सेवा—निवृत्त अध्यापकों का चयन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति/मानदेय की शर्तें:—

- प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.03.2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक ही होगी।
- सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक ही होगी।
- सेवा निवृत्त शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा उन्हें स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- सेवा निवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी जो सम्बन्धित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो घटाने के फलस्वरूप) आये।
- प्रतिनियुक्ति तथा उपरोक्त सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितांत अस्थाई प्रकृति की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- प्रतिनियुक्ति/सेवा निवृत्त पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में मा0 शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण /समायोजन नीति 2017 सम्बन्धित शासनादेश 29.06.2017 में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयों में रिक्त पद के प्रति की जायेगी।
- प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षकों को मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।
- प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।
- प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों द्वारा भविष्य में सम्मिविलियन की मांग नहीं की जायेगी। इस आशय का शपथ—पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- परिषदीय विद्यालय में मौलिक रूप से कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी कि परिषदीय अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्त तैनाती के जनपद एवं उनके मूल पद के सापेक्ष रहेगा।

अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिनांक 06.09.2017 की सांय 5.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगें। इसके उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा, और न ही बाद में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। आवेदन पत्र को जनपद इटावा की बेबसाईट www.etawah.nic.in पर अपलोड करके भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्ह पाये गये विषयवार आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 12.09.2017 को जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से सम्पन्न होगा।

प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम (विषय सहित)..
2. अभ्यर्थी का नाम..
3. पिता/पति का नाम..
4. जन्मतिथि..आयु वर्ष में..
5. जाति/वर्ग..
6. विकलांग (प्रमाण पत्र संलग्न करें)..
7. स्थायी पता..
8. पत्र व्यवहार का पता..
9. मेल आई डी..
10. दूरभाष एवं मोबाईल नं0..

Photo

शैक्षिक योग्यता का विवरणः—

परीक्षा का नाम	वर्ष	समस्त विषय	बोर्ड/संस्था	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
बी0एड़0						
अन्य (डिग्री, डिप्लोमा आदि)						

मैं घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त उपरोक्त सूचनाएं सही हैं, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाऍ गलत पायी जाती हैं, तो मेरा चयन/अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांकः—

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर........................
अभ्यर्थी का पूरा नाम........................

(देवेन्द्र प्रकाश)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
इटावा।

पृष्ठांकन संख्याःअधि/विज्ञप्ति/ 5647-56 /2017—18 दिनांक वही।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0,लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, इटावा।
3. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
4. अपर शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, इटावा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद इटावा की बेबसाईट www.etawah.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना अधिकारी, इटावा को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. प्रधान सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र (दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने सम्मानित समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
इटावा।